

2022/516

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 328/22

गरीब हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रामनारायण - शमेश्वरपिता श्री रम्य जी जारनिवासी- ऐरालऐराल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 433, 679कुल कीता 2 कुल रकबा 0.5500 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।अतः प्रार्थी की ग्राम ऐराल स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 433, 679कुल कीता 2 रकबा 0.5500 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/- रूपये अक्षर पान लोकर प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।(सयम सुन्दर विरनेई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)